

फॉर्म  
 (आयकर संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013)

2013-14

आयकर संपत्ति का विवरण वर्ष 2013-14

अधिकारी/अधिकारियों का नाम: **जगदीश प्रसाद सोनी** वर्तमान स्थिति एवं **अधीक्षण आभियन्ता (CIC)** आयकर का नाम **400 के. वी. उपके-5 बृत्त**  
 A. वर्तमान पते का पता **Raj 139 लाख (Gross) P.M** B. नविष्ठ विधि क्रमांक **G-225459-09** C. आयकर का नाम **म.प्र. पा.श.के.ली. 2000वीं (म.प्र.)**  
**खण्डवा - 450001** D. नविष्ठ विधि क्रमांक **21552462 J.P.S.**

1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति का विवरण (यदि संपत्ति का नाम, पता, स्थिति, आदि विवरण उपलब्ध हो तो उक्त विवरण भरना है)	वर्तमान मूल्य	शुद्धि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी भी क्या संबंध है	यदि किसी प्रकार अधिष्ठित किया गया करीब, पट्टा, बंधक विरासत, बंध या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित करीब और जिससे अधिष्ठित नहीं हो सका नाम तथा धारिता	संपत्ति से आर्थिक आय	अधुना
① 598102 पुरानी पसरठ में सी	संपुक्त पैवृक सम्पत्ति गृह भवन	-	50 लाख रु. (स्वयं का हिस्सा 310 लाख)	पिता के नाम स्व. श्री गणेश प्रसाद सोनी	पैवृक/विरासत से प्राप्त	कुछ नहीं	संपुक्त सम्पत्ति पैवृक
② मिशन कम्पाउंड ग्वालीपट रोड में सी	संपुक्त सम्पत्ति पाली व स्वयं के नाम, गृह भवन	-	50 लाख रु. (स्वयं का हिस्सा 25 लाख रु.)	पाली श्रीमती पार्वती सोनी व स्वयं के नाम से प्राप्त	प्लॉट 60'x60' की नरेश अग्रवाल से 1996 के रूप	कुछ नहीं	S.B.I. JHS रु. प्राप्त Home loan लेना
③ अलगाव छत्रकोट शिवसाई नगर, सरिका नगर के पास गढीपुर, ग्वालीपट	संपुक्त सम्पत्ति स्वयं व पाली के नाम, गृह भवन	-	40 लाख रु. स्वयं का हिस्सा 20 लाख रु.	स्वयं व पाली श्रीमती पार्वती सोनी के नाम से प्राप्त	500 पैसों का श्री राकेश कुमार सुरेश 6/2012 नाम से रूप	कुछ नहीं	L.I.C. H.F.I. रु. House loan लेना रूप

जहां जगु न हो फाट दीजिए  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए  
 इसमें व्यवसायिक पट्टे भी सम्मिलित हैं

नोट - बंधक द्वारा प्राप्त हुए शासकीय सेवक (आयकर) नियम, 1968 के विध्या 19(1) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी श्रेणी में कोई तथा सूचीबद्ध भूमि से प्राप्त आय का प्रत्येक वर्ष एक बार आयकर देना है कि यह आय में गहरी विद्युत के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उल्लेख करना है कि यह आय किसके नाम पर धारित किया गया है और विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (मोबल) संपत्ति का विवरण देवे।

22/12/2013  
 (जगदीश प्रसाद सोनी) अधी. आभियन्ता, 400 के. वी. उपके-5 बृत्त